

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-103/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू रमॉल फायनेंस बैंक लि. प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री गौरव भाटी		<ul style="list-style-type: none">• मैसर्स पारस डेयरी जरिये प्रोपराईटर जाटों का वास, गांव वारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर• कुनाराम पुत्र चेतनराम जाटों का वास, गांव वारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर• पारसराम पुत्र चेतनराम मकान न. 383, डावलों का वास, गांव वारनी खुर्द, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-12.03.2026

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स पारस डेयरी जरिये प्रोपराईटर व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 5,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण पारसराम एवं कुनाराम की जायदाद पट्टा नं. 36, मिसल नंबर 18, सकल्प नम्बर 7, ग्राम वारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 6843.56 वर्ग फीट को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 11.09.2025 तक 4,88,236/- नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह आदेश जारी किया।



RajKaj Ref No.:
20996690



1

Signature valid

Digitally signed by Chandrav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.03.12 16:00:56 IST
Reason: Approved

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 11.09.2025 तक 4,88,236/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक््युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक््युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद पारसराम एवं कुनाराम की जायदाद पट्टा नं. 36, मिसल नंबर 18, सकल्प नम्बर 7, ग्राम बारनी खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 6843.56 वर्ग फीट का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमकाद जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।



आदेश दिनांक 12.03.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

RajKaj Ref No.:
20996690

1

Signature valid

Digitally signed by Govind Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.03.12 16:00:56 IST
Reason: Approved